राजस्थान –सरकार

कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

क्रमांक :– 97–106 दिनांक :– 11.5.2015

निविदा सूचना सं. 01/2015–16

इस कार्यालय को एन.आर.एच.एम/आर.बी.एस.के. कार्यक्रम के लिए वर्ष 2015–16 में आवश्यकता अनुसार डिलीवरी पोंईट चिकित्सा संस्थानों पर साफ–सफाई व एन.आर.एच.एम/आर.बी.एस.के. के तहत वाहन किराये संबंधी निम्नलिखित कार्यों हेतु संबंधित क्षैत्र में व्यवहारी व्यक्ति/फर्म/संस्था/एजेन्सीज से मोहर बन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से दिनांक 05.06.2015 से 11.06.2015 तक निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते है। समयक रूप से परिपूर्ण निविदा दिनांक 12.06.2015 को दोपहर 3.00 बजे तक इस कार्यालय में जमा करवाई जा सकती है जो उसी दिन सांय 4.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एवं शर्तें आदि किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में इस कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा वेबसाईट http://dipr.rajasthan.gov.in/tenders.asp या http://sppp.rajasthan.gov.in/ पर प्राप्त की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य विवरण	अनुमानित मुल्य	धरोहर राशि	निविदा शुल्क
1	किराया क्रय पद्वति पर वर्ष 2015–16 के लिए यथा आवश्यकता एक वाहन कार/जीप (बन्द बॉडी चालक सहित न्युनतम बैठक क्षमता 6 सीट) बी.पी.एम.यू. मोबिलिटी के लिए किराया पर लिया जाना (बोलेरो/टवेरा/इनोवा/मार्शल अथवा अन्य समकक्ष श्रेणी)।	2.00 लाख	Rs. 4,000	200/-
2	किराया पद्वति पर वर्ष 2015–16 के लिए यथा आवश्यकता एक वाहन कार/जीप (बन्द बॉडी चालक सहित न्युनतम बैठक क्षमता 6 सीट) आर.बी.एस.के. कार्यक्रम के लिए किराया पर लिया जाना (बोलेरो/टवेरा/इनोवा/मार्शल अथवा अन्य समकक्ष श्रेणी)।	2.00 लाख	Rs. 4,000	200/-
3	वर्ष 2015–16 में सामु. स्वा. केन्द्र, श्रीडूंगरगढ. पर साफ–सफाई का कार्य।	3.00 लाख	Rs. 6,000	200/-
4	वर्ष 2015–16 में सामु. स्वा. केन्द्र, मोमासर पर साफ–सफाई का कार्य।	3.00 लाख	Rs. 6,000	200/-
5	वर्ष 2015–16 में प्रा. स्वा. केन्द्र, बिग्गा पर साफ–सफाई का कार्य।	3.00 लाख	Rs. 6,000	200/-
6	वर्ष 2015–16 में प्रा. स्वा. केन्द्र, लखासर पर साफ–सफाई का कार्य।	3.00 लाख	Rs. 6,000	200/-
7	वर्ष 2015–16 में प्रा. स्वा. केन्द्र, सेरूणा पर साफ–सफाई का कार्य।	3.00 लाख	Rs. 6,000	200/-
8	वर्ष 2015–16 में प्रा. स्वा. केन्द्र, दुलचासर पर साफ–सफाई का कार्य।	3.00 लाख	Rs. 6,000	200/-

RPWA 100 की समस्त शर्तें भी लागू होगी।

(डॉ. मनीष वर्मा)
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़।

निविदा की सामान्य शर्तें

1. तार द्वारा प्रेषित/निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त/सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. धरोहर राशि डी.डी./बैंकर चैक द्वारा ही जमा करवानी होगी, बिना धरोहर राशि प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. किसी भी सम्पूर्ण निविदा अथवा निविदा के किसी भी भाग को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार विभागीय समिति के पास सुरक्षित होगा।
4. निविदा प्राप्त करने एवं खोलने की अन्तिम तिथि को अवकाश होने पर निविदा संबंधी कार्यवाही आगामी कार्य दिवस को की जायेगी।
5. वाहन किराये संबंधी कार्य की निविदाओं (कम.सं. 01 से 02) के साथ निविदादाता को वाहन पंजीयन प्रमाण–पत्र, वैद्य बीमा कवर नोट, नवीनीकृत चालक अनुज्ञा पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है तथा वाहन 10 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
6. यदि वाहन निविदादाता के स्वंय के नाम पंजीकृत नहीं हो तो पंजीयन में अंकित वाहन स्वामी का निविदादाता के पक्ष में वाहन अनुबन्ध पर लगाने संबंधी समस्त कार्यवाही यथा दरें प्रस्तुत करने, अनुबन्ध निष्पादित करने, कार्य आदेश प्राप्त करने, भुगतान प्राप्त करने व अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही करने हेतु रू. 100/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित मूल अधिकार पत्र निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
7. सफाई कार्य संबंधी निविदादाताओं (कम सं. 03 से 08) को श्रम कल्याण अधिनियम के तहत श्रमिकों को देय समस्त हितलाभ देने होंगें तथा निविदा के साथ निविदादाता का इस प्रयोजनार्थ श्रम विभाग में पंजीकृत होने के नवीनीकृत एवं निविदा प्राप्ति की तिथि को वैद्य पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
8. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक को प्रार्थना–पत्र के साथ निविदा प्रकिया में भाग लेने हेतु सक्षम एवं अधिकृत होने (यथा वाहन पंजीयन प्रमाण–पत्र, श्रम विभाग का वैद्य पंजीयन प्रमाण–पत्र) संबंधी कागजातों की छायाप्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
9. कार्य हेतु वितीय प्रावधान उपलब्ध होने एवं विभाग के लिये आवश्यक होने पर ही कार्य आदेश प्रदान किया जायेगा। निविदा में सफल होने मात्र से निविदादाता कार्य आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
10. सफल निविदादाता को कार्य आदेश प्राप्त होने पर एक सप्ताह में 500 रू. के नॉन ज्युड्यूशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र में स्वंय के खर्च पर विभाग के साथ अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।
11. किसी भी विवाद की स्थिति में विभागीय समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

(डॉ. मनीष वर्मा)
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़।

कमांक :– 97-106 | दिनांक :– 11-5-2015

प्रतिलिपी सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं प्रचार–प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु :–

1. श्रीमान् संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं बीकानेर जोन बीकानेर।
2. श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
3. श्रीमान् जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
4. श्रीमान् उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.), बीकानेर।
5. श्रीमान् उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), बीकानेर।
6. जिला कार्यकम प्रबन्धक, एनआरएचएम बीकानेर।
7. जिला लेखा प्रबन्धक, एनआरएचएम बीकानेर।
8. सामु./प्रा. स्वा. केन्द्र, समस्त ब्लॉक श्रीडूंगरगढ़।
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़।

राजस्थान –सरकार

कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या 01 वर्ष 2015–16

निविदा बेचने की दिनांक 05.06.2015 से दिनांक 11.06.2015

निविदा प्राप्ति की दिनांक 12.06.2015 सांय 3:00 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक 12.06.2015 सांय 4:00 बजे

निविदा लागत : 2.00 लाख धरोहर राशि : 4000/–

कार्य का नाम : किराया क्रय पद्वति पर वर्ष 2015–16 के लिए यथा आवश्यकता एक वाहन कार/जीप (बन्द बॉडी चालक सहित न्युनतम बैठक क्षमता 6 सीट) बी.पी.एम.यू. मोबिलिटी के लिए किराया पर लिया जाना (बोलेरो/टवेरा/इनोवा/मार्शल अथवा अन्य समकक्ष श्रेणी)।

निविदा फार्म फीस (रू 200/–) जरीये रसीद सं. .... दिनांक .... द्वारा प्राप्त।

.... को जारी किया गया।

(डॉ. मनीष वर्मा)
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़।

1. अमानत राशि जमा कराने का विवरण

	अमानत राशि जमा (बैंक का नाम सहित)	संख्या	दिनांक	राशि
1				

2. वाहन एवं वाहन चालक का विवरण

वाहन का प्रकार	वाहन स्वामी का नाम व पता	निर्माण का वर्ष	रजिस्ट्रेशन नम्बर	बैठक क्षमता	फिटनेशन की वैद्यता अवधि	बीमा की वैद्यता अवधि	वाहन चालक का नाम मय पिता का नाम एवं पूर्ण पता	वाहन चालन लाईसेंस नम्बर मय वैद्यता अवधि

3. दर का विवरण

प्रतिमाह 1500 कि.मी. तक परिचालन की मासिक दर	
प्रतिमाह 1500 कि.मी से अधिक अगले 500 किमी तक के परिचालन पर 1500 किमी से अगले प्रति कि.मी. की दर	

मैनें निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न विवरण में अंकित सभी शर्तो को अच्छी तरह समझ लिया है एवं शर्ते मुझे स्वीकार है। जिसकी सहमति स्वरूप मैने शर्तो के विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

वाहन किराये हेतु नियम एवं शर्ते

1. राज्य के आदेश क्रमांक F.9(1)FD.1(1) Budget/2012 जयपुर दिनांक 01.07.2013 के अनुसरण में प्रारम्भिक तौर पर गाडी 1500/2000 कि.मी. प्रति माह किराये पर होगी जिसका प्रथमतः एक मुश्त प्रति माह (P.O.L सहित) निर्धारित किराया देय होगा यदि एक माह में वाहन की चालन आवश्यकता 1500/2000 किमी से अधिक रही तो प्रथम 1500/2000 किमी के बाद के अधिक कि.मी. के लिए प्रति कि.मी. से अतिरिक्त किराया देय होगा। परन्तु एक माह में अधिकतम 2000 कि.मी. के लिए 20000 रू. (P.O.L सहित) प्रति माह से अधिक किराया देय नहीं होगा।
2. टोल टैक्स के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के टैक्स जो वाहन से सम्बन्धित है, वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जायेगे।
3. अन्य राजकीय कर जैसे आयकर, सेवाकर इत्यादि वाहन मालिक के वाहन किराया विपत्र में से कटौती योग्य होगें।
4. किराये पर लिया गया वाहन राज्य में कही भी प्रयुक्त किया जा सकेगा तथा मुख्यालय श्रीडूंगरगढ़ रहेगा।
5. निर्धारित प्रोफर्मा में वाहन की लॉग बुक का संधारण होगा।
6. किराये पर उपलब्ध कराया जाने वाला वाहन परिवहन कार्यालय से टैक्सी कोटा के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए तथा बीमा कम्पनी से बीमित होना चाहिए।
7. वाहन 10 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा पूर्णतया फिट (फिटनेस सर्टिफिकेट संलग्न करे) तथा अच्छी स्थिति का होना चाहिये।
8. वाहन एवं वाहन चालक से सम्बन्धित सभी कानूनी मामलों के लिए अनुमोदित वाहन सप्लायर ही दायी होगा वाहन से सम्बन्धित प्रदूषण प्रमाण पत्र भी अनुमोदित सप्लायर को प्राप्त करना होगा।
9. वाहन यथा सम्भव कार्यालय भवन मे ही अनुमोदित सप्लायर की जोखिम पर पार्क किया जायेगा परन्तु आवश्यक हुआ तो वाहन से सम्बन्धित पार्किग चार्जेज संवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।
10. अनुमोदित सप्लायर को सम्बन्धित वाहन पर उतारने योग्य प्लेट "ON GOVT. DUTY" लगानी होगी जो डयूटी समाप्त हो जाने के बाद उतार दी जायेगी।
11. अनुमोदित सप्लायर का वाहन चालक उचित वेशभूषा में होना चाहिये, गाडी को सदैव स्वच्छ रखे तथा अधिकारी से सद्-व्यवहार रखने हेतु उतरदायी होगा।
12. सामान्यः वाहन का कार्य समय 9 एम से 6 पीएम होगा परन्तु अधिकारी की आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा।
13. उक्त दरें कार्य आदेश तिथि से 31.03.2016 तक प्रभावशील रहेगी जिसे आपसी सहमति से अगले 6 माह और बढाया जा सकेगा।
14. दूरी और समय की गणना ड्यूटी प्वाइन्ट से की जायेगी।
15. अनुमोदित वाहन सप्लायर को कार्यालय की मांग पर वाहन उपलब्ध करवाना होगा तथा विभाग द्वारा सम्बन्धित मांग अग्रिम में दे दी जायेगी।
16. यदि मांग पर अनुमादित वाहन सप्लायर द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो 500/-रू प्रतिदिन प्रति वाहन शास्ति वसूली योग्य होगी तथा विभाग द्वारा अन्य वाहन किराये पर लिये जाने पर अतिरिक्त चार्जेज का भुगतान अनुमोदित सप्लायर से वसूली योग्य होगा।
17. यात्रा के दौरान यदि वाहन किसी कारण से ऑफरोड/रास्ते में खडा हो जाता है तो अनुमोदित सप्लायर को स्वयं के खर्चे पर समय पर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा।
18. यात्रा के दौरान किराये के वाहन से सम्बन्धित मूल अभिलेख यथा रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनश्योरेन्स प्रमाण पत्र इत्यादि वाहन में ही ड्राइवर की अभिरक्षा में रखने होगें।
19. गाडी से सम्बन्धित मरम्मत चार्जेज, पी.ओ.एल इत्यादि सप्लायर द्वारा ही वहन किये जायेगे।
20. अनुमोदित सप्लायर को प्रति माह अपना विपत्र दो प्रतियों में प्रभारी अधिकारी से प्रमाणित कराकर लॉग बुक के साथ प्रस्तूत करना होगा तथा वाहन से सम्बन्धित समस्त दायित्व एवं दुर्घटना दावे यदि हो तो सभी अनुमोदित वाहन सप्लायर को ही वहन करने होगे।
21. इस कार्य संविदा से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में विभागीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान –सरकार

कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या 01 वर्ष 2015–16

निविदा बेचने की दिनांक 05.06.2015 से दिनांक 11.06.2015

निविदा प्राप्ति की दिनांक 12.06.2015 सांय 3:00 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक 12.06.2015 सांय 4:00 बजे

निविदा लागत : 2.00 लाख धरोहर राशि : 4000/–

कार्य का नाम : किराया क्रय पद्धति पर वर्ष 2015–16 के लिए यथा आवश्यकता एक वाहन कार/जीप (बन्द बॉडी चालक सहित न्युनतम बैठक क्षमता 6 सीट) आर.बी.एस.के. कार्यक्रम के लिए किराया पर लिया जाना (बोलेरो/टवेरा/इनोवा/मार्शल अथवा अन्य समकक्ष श्रेणी)।

निविदा फार्म फीस (रू 200/–) जरीये रसीद सं. .... दिनांक .... द्वारा प्राप्त।

.... को जारी किया गया।

(डॉ. मनीष वर्मा)
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़।

1. अमानत राशि जमा कराने का विवरण

	अमानत राशि जमा (बैंक का नाम सहित)	संख्या	दिनांक	राशि
1				

2. वाहन एवं वाहन चालक का विवरण

वाहन का प्रकार	वाहन स्वामी का नाम व पता	निर्माण का वर्ष	रजिस्ट्रेशन नम्बर	बैठक क्षमता	फिटनेशन की वैद्यता अवधि	बीमा की वैद्यता अवधि	वाहन चालक का नाम मय पिता का नाम एवं पूर्ण पता	वाहन चालन लाईसेंस नम्बर मय वैद्यता अवधि

3. दर का विवरण

प्रतिमाह 1500 कि.मी. तक परिचालन की मासिक दर	
प्रतिमाह 2000 कि.मी. तक परिचालन की मासिक दर	
प्रतिमाह 1500/2000 कि.मी से अधिक अगले किमी के परिचालन पर अगले प्रति कि.मी. की दर	

मैनें निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न विवरण में अंकित सभी शर्तों को अच्छी तरह समझ लिया है एवं शर्तें मुझे स्वीकार है। जिसकी सहमति स्वरूप मैने शर्तों के विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

वाहन किराये हेतु नियम एवं शर्ते

1. राज्य के आदेश क्रमांक F.9(1)FD.1(1) Budget/2012 जयपुर दिनांक 01.07.2013 के अनुसरण में प्रारम्भिक तौर पर गाडी 1500/2000 कि.मी. प्रति माह किराये पर होगी जिसका प्रथमतः एक मुश्त प्रति माह (P.O.L सहित) निर्धारित किराया देय होगा यदि एक माह में वाहन की चालन आवश्यकता 1500/2000 किमी से अधिक रही तो प्रथम 1500/2000 किमी के बाद के अधिक कि.मी. के लिए प्रति कि.मी. से अतिरिक्त किराया देय होगा। परन्तु एक माह में अधिकतम 2000 कि.मी. के लिए 20000 रू. (P.O.L सहित) प्रति माह से अधिक किराया देय नहीं होगा।
2. टोल टैक्स के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के टैक्स जो वाहन से सम्बन्धित है, वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जायेगे।
3. अन्य राजकीय कर जैसे आयकर, सेवाकर इत्यादि वाहन मालिक के वाहन किराया विपत्र में से कटौती योग्य होगें।
4. किराये पर लिया गया वाहन राज्य में कही भी प्रयुक्त किया जा सकेगा तथा मुख्यालय श्रीडूंगरगढ़ रहेगा।
5. निर्धारित प्रोफर्मा में वाहन की लॉग बुक का संधारण होगा।
6. किराये पर उपलब्ध कराया जाने वाला वाहन परिवहन कार्यालय से टैक्सी कोटा के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए तथा बीमा कम्पनी से बीमित होना चाहिए।
7. वाहन 10 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिये तथा पूर्णतया फिट (फिटनेस सर्टिफिकेट संलग्न करे) तथा अच्छी स्थिति का होना चाहिये।
8. वाहन एवं वाहन चालक से सम्बन्धित सभी कानूनी मामलों के लिए अनुमोदित वाहन सप्लायर ही दायी होगा वाहन से सम्बन्घित प्रदूषण प्रमाण पत्र भी अनुमोदित सप्लायर को प्राप्त करना होगा।
9. वाहन यथा सम्भव कार्यालय भवन मे ही अनुमोदित सप्लायर की जोखिम पर पार्क किया जायेगा परन्तु आवश्यक हुआ तो वाहन से सम्बन्घित पार्किंग चार्जेज संवेदक द्वारा वहन किया जायेगा।
10. अनुमोदित सप्लायर को सम्बन्धित वाहन पर उतारने योग्य प्लेट **"ON GOVT. DUTY"** लगानी होगी जो डयूटी समाप्त हो जाने के बाद उतार दी जायेगी।
11. अनुमोदित सप्लायर का वाहन चालक उचित वेशभूषा में होना चाहिये, गाडी को सदैव स्वच्छ रखे तथा अधिकारी से सद्–व्यवहार रखने हेतु उतरदायी होगा।
12. सामान्यः वाहन का कार्य समय 9 एम से 6 पीएम होगा परन्तु अधिकारी की आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा।
13. उक्त दरें कार्य आदेश तिथि से 31.03.2016 तक प्रभावशील रहेगी जिसे आपसी सहमति से अगले 6 माह और बढाया जा सकेगा।
14. दूरी और समय की गणना ड्यूटी प्वाइन्ट से की जायेगी।
15. अनुमोदित वाहन सप्लायर को कार्यालय की मांग पर वाहन उपलब्ध करवाना होगा तथा विभाग द्वारा सम्बन्धित मांग अग्रिम में दे दी जायेगी।
16. यदि मांग पर अनुमादित वाहन सप्लायर द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो 500/–रू प्रतिदिन प्रति वाहन शास्ति वसूली योग्य होगी तथा विभाग द्वारा अन्य वाहन किराये पर लिये जाने पर अतिरिक्त चार्जेज का भुगतान अनुमोदित सप्लायर से वसूली योग्य होगा।
17. यात्रा के दौरान यदि वाहन किसी कारण से ऑफरोड़/रास्ते में खडा हो जाता है तो अनुमोदित सप्लायर को स्वयं के खर्चे पर समय पर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा।
18. यात्रा के दौरान किराये के वाहन से सम्बन्धित मूल अभिलेख यथा रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनश्योरेन्स प्रमाण पत्र इत्यादि वाहन में ही ड्राइवर की अभिरक्षा में रखने होगें।
19. गाडी से सम्बन्धित मरम्मत चार्जेज, पी.ओ.एल इत्यादि सप्लायर द्वारा ही वहन किये जायेगे।
20. अनुमोदित सप्लायर को प्रति माह अपना विपत्र दो प्रतियों में प्रभारी अधिकारी से प्रमाणित कराकर लॉग बुक के साथ प्रस्तूत करना होगा तथा वाहन से सम्बन्धित समस्त दायित्व एवं दुर्घटना दावे यदि हो तो सभी अनुमोदित वाहन सप्लायर को ही वहन करने होगे।
21. इस कार्य संविदा से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में विभागीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान –सरकार

कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या 01 वर्ष 2015–16

निविदा बेचने की दिनांक 05.06.2015 से दिनांक 11.06.2015

निविदा प्राप्ति की दिनांक 12.06.2015 सांय 3:00 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक 12.06.2015 सांय 4:00 बजे

निविदा लागत : 3.00 लाख धरोहर राशि : 6000/–

कार्य का नाम : वर्ष 2015–16 में सामु. स्वा. केन्द्र, श्रीडूंगरगढ. पर साफ–सफाई का कार्य।

निविदा फार्म फीस (रू 200/–) जरीये रसीद सं. .... दिनांक .... द्वारा प्राप्त।

.... को जारी किया गया।

(डॉ. मनीष वर्मा)
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़।

1. अमानत राशि जमा कराने का विवरण

	अमानत राशि जमा (बैंक का नाम सहित)	संख्या	दिनांक	राशि
1				

2. दर का विवरण

विवरण	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर
समस्त सामग्री व संसाधन सहित प्रतिमाह साफ सफाई कार्य हेतु दर	

मैनें निविदा पत्र के साथ संलग्न विवरण में अंकित सभी शर्तों को अच्छी तरह समझ लिया है एवं शर्तें मुझे स्वीकार है। जिसकी सहमति स्वरूप मैने शर्तों के विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

डिलीवरी पोंईट चिकित्सा संस्थानों पर साफ–सफाई कार्य हेतु नियम एवं शर्ते

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में स्थित सभी वार्डों के अंदर बाहर की गैलरियो, खिड़की दरवाजों, इनके पास स्थित बरामदों, परिसर की उपरी छत, सीढियों, रैम्परों एवं अस्पताल के बाहर के मैदान (चारदिवारी के अन्दर) एवं नये निर्मित होने वाले भवनों की सफाई करनी होगी। जिसमें सभी स्थानों पर झाडू लगाना, जाले हटाना, फिनाईल से पोछा लगाना, शौचालयों, स्नानगृहों की सफाई, पान की पीक आदि की सफाई शामिल है।
2. महिला वार्डों हेतु महिला सफाई कर्मचारी ही लगाने होगे।
3. संविदाकार द्वारा लगाये जाने वाले सभी कार्मिकों को संविदाकार द्वारा फोटो युक्त परिचय पत्र जारी करना होगा तथा सभी कार्मिकों को उक्त परिचय पत्र कार्यसमय में प्रदर्शित किया जाना है।
4. सभी सफाई कार्मिक एक रंग की वर्दी में उपलब्ध होने चाहिये। वर्दी पर सफाई कर्मचारी का नाम अंकित किया जावे।
5. ठेकेदार को स्वीपर सफाई कर्मी ही उपलब्ध कराने होगे। वार्डो, शौचालयों एवं स्नानगृहों की समस्त सफाई को सत्यापन वार्ड प्रभारी द्वारा किये जाये।
6. कार्य अवधि में सफाई कार्य में काम आने वाली आवश्यक सामग्री (झाडु, पौछा, ब्रूश ट्रौली, बांस, एसिड, सोडा , साबुन का घोल, डिजरजेंट, फिनाईल तथा शौचालयों के लिए नेफथ्लीन बॉल्स की गोलिया आदि) की सभी वार्डो में आपुर्ति ठेकेदार को ही करनी होगी।
7. चिकित्सालय के बरामदों, सीढीयों, वार्डों, गैलरिया एवं हाल्स में स्थापित कचरा पात्रो की सफाई, थूकदान/पीकदान में आवश्यकतानुसार रसायन आदि का परिवर्तन प्रतिदिन करना होगा।
8. निर्धारित स्तर की सफाई नहीं होने पर एवं इस संबंध में वार्ड प्रभारी, नर्सिंग अधीक्षक अथवा सफाई प्रभारी द्वारा सूचित किये जाने पर पुनः सफाई करवानी होगी एवं इसका निरीक्षण करवाया जाना होगा।
9. शौचालय में कचरा पात्र उपलब्ध हो जिसे प्रतिदिन सुबह शाम खाली किया जावे।
10. वार्डो में प्रत्येक शैया के नीचे, सामान्य कचरे के लिये छोटा कचरा पात्र रखा हो, जिसे प्रतिदिन सुबह–शाम खाली किया जाये।
11. स्नान घर में बाल्टी व मग ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करा रखे जावे।
12. ड्यूटी चार्ट के साथ–साथ उतरदायी सफाई कर्मचारी का नाम व मोबाईल नं अंकित किया जाना है।
13. चिकित्सा संस्थान पर उत्पन्न जैवकिय अपशिष्ट का **Biomedical Waste (Management & Handling) Rules, 1998** के अनुसार सुचारू प्रबधन किये जाने हेतु जैवकिय अपशिष्ट का कलर कॉडिग के अनुसार पृथ्थकरण कर रबड़ वेस्ट व शार्प वेस्ट का 1 प्रतिशत सोड़ियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन अथवा 1 प्रतिशत ब्लीचिंग घोल से निःसंक्रमण करवाया जाना है। तत्पश्चात **CTF** या **Deep Burial Pit** के माध्यम से जैवकिय अपशिष्ट का निस्तारण करवाया जाना है।
14. चिकित्सालय के समस्त वार्डो तथा प्रसव कक्ष व उससे जुड़े शौचालयों में निरन्तर सफाई व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिये।
15. परिसर को कांटेदार झाडिया व बिना कांटेदार झाडियों को खोदकर निकालनी होगी। कचरा व झाडियां या परिसर में कोई जानवर मरा हुआ हो तो उसे पास के कचरा डिपो जो नगर परिषद् या चिकित्सालय का हो वहां तक अपने खर्चे व अपने साधन से पहुंचाना होगा।
16. अन्य नियम व शर्ते सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार होगी।
17. सफाई ठेका की अवधि कार्य आदेश से 31 मार्च 2016 तक की होगी जिसे आवश्यक होने पर आपसी सहमति से आगामी छः माह तक के लिये बढाई जा सकेगी।
18. सफाई कार्य का निरीक्षण एवं कार्य सन्तोषप्रद तथा निर्धारित मापदण्ड अनुसार होने का प्रमाणीकरण व भुगतान सम्बंधी कार्यवाही सम्बंधित चिकित्सा संस्था प्रधान द्वारा की जानी है।
19. सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग जिला स्तर पर गठित सदस्यों की समिति द्वारा की जानी है।
20. कार्य सम्पादन से संबंधित कोई भी आवश्यक निर्देश देने का अधिकार विभागीय अधिकारियों के पास होगा। ठेकेदार को निर्देशों का पालन कराने की बाध्यता होगी।
21. इस कार्य संविदा से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में विभागीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान –सरकार

कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या 01 वर्ष 2015–16

निविदा बेचने की दिनांक 05.06.2015 से दिनांक 11.06.2015

निविदा प्राप्ति की दिनांक 12.06.2015 सांय 3:00 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक 12.06.2015 सांय 4:00 बजे

निविदा लागत : 3.00 लाख धरोहर राशि : 6000/–

कार्य का नाम : वर्ष 2015–16 में सामु. स्वा. केन्द्र, मोमासर पर साफ–सफाई का कार्य।

निविदा फार्म. फीस (रू 200/–) जरीये रसीद सं. .... दिनांक .... द्वारा प्राप्त।

.... को जारी किया गया।

(डॉ. मनीष वर्मा)
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़।

1. अमानत राशि जमा कराने का विवरण

	अमानत राशि जमा (बैंक का नाम सहित)	संख्या	दिनांक	राशि
1				

2. दर का विवरण

विवरण	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर
समस्त सामग्री व संसाधन सहित प्रतिमाह साफ सफाई कार्य हेतु दर	

मैनें निविदा पत्र के साथ संलग्न विवरण में अंकित सभी शर्तो को अच्छी तरह समझ लिया है एवं शर्ते मुझे स्वीकार है। जिसकी सहमति स्वरूप मैने शर्तो के विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

डिलीवरी पोंईट चिकित्सा संस्थानों पर साफ–सफाई कार्य हेतु नियम एवं शर्ते

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में स्थित सभी वार्डों के अंदर बाहर की गैलरियो, खिड़की दरवाजों, इनके पास स्थित बरामदों, परिसर की उपरी छत, सीढियों, रैम्परों एवं अस्पताल के बाहर के मैदान (चारदिवारी के अन्दर) एवं नये निर्मित होने वाले भवनों की सफाई करनी होगी। जिसमें सभी स्थानों पर झाडू लगाना, जाले हटाना, फिनाईल से पोछा लगाना, शौचालयों, स्नानगृहों की सफाई, पान की पीक आदि की सफाई शामिल है।
2. महिला वाडों हेतु महिला सफाई कर्मचारी ही लगाने होगे।
3. संविदाकार द्वारा लगाये जाने वाले सभी कार्मिकों को संविदाकार द्वारा फोटो युक्त परिचय पत्र जारी करना होगा तथा सभी कार्मिकों को उक्त परिचय पत्र कार्यसमय में प्रदर्शित किया जाना है।
4. सभी सफाई कार्मिक एक रंग की वर्दी में उपलब्ध होने चाहिये। वर्दी पर सफाई कर्मचारी का नाम अंकित किया जावे।
5. ठेकेदार को स्वीपर सफाई कर्मी ही उपलब्ध कराने होगे। वार्डो, शौचालयों एवं स्नानगृहों की समस्त सफाई को सत्यापन वार्ड प्रभारी द्वारा किये जाये।
6. कार्य अवधि में सफाई कार्य में काम आने वाली आवश्यक सामग्री (झाडु, पौछा, ब्रूश ट्रौली, बांस, एसिड, सोडा , साबुन का घोल, डिजरजेंट, फिनाईल तथा शौचालयों के लिए नेफथ्लीन बॉल्स की गोलिया आदि) की सभी वार्डो में आपुर्ति ठेकेदार को ही करनी होगी।
7. चिकित्सालय के बरामदों, सीढीयों, वार्डों, गैलरिया एवं हाल्स में स्थापित कचरा पात्रो की सफाई, थूकदान/पीकदान में आवश्यकतानुसार रसायन आदि का परिवर्तन प्रतिदिन करना होगा।
8. निर्धारित स्तर की सफाई नहीं होने पर एवं इस संबंध में वार्ड प्रभारी, नर्सिग अधीक्षक अथवा सफाई प्रभारी द्वारा सूचित किये जाने पर पुनः सफाई करवानी होगी एवं इसका निरीक्षण करवाया जाना होगा।
9. शौचालय में कचरा पात्र उपलब्ध हो जिसे प्रतिदिन सुबह शाम खाली किया जावे।
10. वार्डो में प्रत्येक शैया के नीचे, सामान्य कचरे के लिये छोटा कचरा पात्र रखा हो, जिसे प्रतिदिन सुबह–शाम खाली किया जाये।
11. स्नान घर में बाल्टी व मग ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करा रखे जावे।
12. ड्यूटी चार्ट के साथ–साथ उतरदायी सफाई कर्मचारी का नाम व मोबाईल नं अंकित किया जाना है।
13. चिकित्सा संस्थान पर उत्पन्न जैवकिय अपशिष्ट का **Biomedical Waste (Management & Handling) Rules, 1998** के अनुसार सुचारू प्रबधन किये जाने हेतु जैवकिय अपशिष्ट का कलर कॉडिग के अनुसार पृथ्थकरण कर रबड़ वेस्ट व शार्प वेस्ट का 1 प्रतिशत सोड़ियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन अथवा 1 प्रतिशत ब्लीचिंग घोल से निःसंक्रमण करवाया जाना है। तत्पश्चात **CTF** या **Deep Burial Pit** के माध्यम से जैवकिय अपशिष्ट का निस्तारण करवाया जाना है।
14. चिकित्सालय के समस्त वार्डो तथा प्रसव कक्ष व उससे जुड़े शौचालयों में निरन्तर सफाई व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिये।
15. परिसर को कांटेदार झाडिया व बिना कांटेदार झाडियों को खोदकर निकालनी होगी। कचरा व झाडियां या परिसर में कोई जानवर मरा हुआ हो तो उसे पास के कचरा डिपो जो नगर परिषद् या चिकित्सालय का हो वहां तक अपने खर्चे व अपने साधन से पहुंचाना होगा।
16. अन्य नियम व शर्ते सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार होगी।
17. सफाई ठेका की अवधि कार्य आदेश से 31 मार्च 2016 तक की होगी जिसे आवश्यक होने पर आपसी सहमति से आगामी छः माह तक के लिये बढाई जा सकेगी।
18. सफाई कार्य का निरीक्षण एवं कार्य सन्तोषप्रद तथा निर्धारित मापदण्ड अनुसार होने का प्रमाणीकरण व भुगतान सम्बंधी कार्यवाही सम्बंधित चिकित्सा संस्था प्रधान द्वारा की जानी है।
19. सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग जिला स्तर पर गठित सदस्यों की समिति द्वारा की जानी है।
20. कार्य सम्पादन से संबंधित कोई भी आवश्यक निर्देश देने का अधिकार विभागीय अधिकारियों के पास होगा। ठेकेदार को निर्देशों का पालन कराने की बाध्यता होगी।
21. इस कार्य संविदा से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में विभागीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान –सरकार

कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या 01 वर्ष 2015–16

निविदा बेचने की दिनांक 05.06.2015 से दिनांक 11.06.2015

निविदा प्राप्ति की दिनांक 12.06.2015 सांय 3:00 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक 12.06.2015 सांय 4:00 बजे

निविदा लागत : 3.00 लाख धरोहर राशि : 6000/–

कार्य का नाम : वर्ष 2015–16 में प्रा. स्वा. केन्द्र, बिग्गा पर साफ–सफाई का कार्य।

निविदा फार्म फीस (रू 200/–) जरीये रसीद सं. .... दिनांक .... द्वारा प्राप्त।

.... को जारी किया गया।

(डॉ. मनीष वर्मा)
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़।

1. अमानत राशि जमा कराने का विवरण

	अमानत राशि जमा (बैंक का नाम सहित)	संख्या	दिनांक	राशि
1				

2. दर का विवरण

विवरण	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर
समस्त सामग्री व संसाधन सहित प्रतिमाह साफ सफाई कार्य हेतु दर	

मैनें निविदा पत्र के साथ संलग्न विवरण में अंकित सभी शर्तो को अच्छी तरह समझ लिया है एवं शर्ते मुझे स्वीकार है। जिसकी सहमति स्वरूप मैने शर्तो के विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

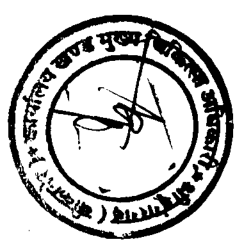

निविदादाता के हस्ताक्षर

डिलीवरी पोंईट चिकित्सा संस्थानों पर साफ–सफाई कार्य हेतु नियम एवं शर्ते

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में स्थित सभी वार्डों के अंदर बाहर की गैलरियो, खिड़की दरवाजों, इनके पास स्थित बरामदों, परिसर की उपरी छत, सीढियों, रैम्परों एवं अस्पताल के बाहर के मैदान (चारदिवारी के अन्दर) एवं नये निर्मित होने वाले भवनों की सफाई करनी होगी। जिसमें सभी स्थानों पर झाडू लगाना, जाले हटाना, फिनाईल से पोछा लगाना, शौचालयों, स्नानगृहों की सफाई, पान की पीक आदि की सफाई शामिल है।
2. महिला वाडों हेतु महिला सफाई कर्मचारी ही लगाने होगे।
3. संविदाकार द्वारा लगाये जाने वाले सभी कार्मिकों को संविदाकार द्वारा फोटो युक्त परिचय पत्र जारी करना होगा तथा सभी कार्मिकों को उक्त परिचय पत्र कार्यसमय में प्रदर्शित किया जाना है।
4. सभी सफाई कार्मिक एक रंग की वर्दी में उपलब्ध होने चाहिये। वर्दी पर सफाई कर्मचारी का नाम अंकित किया जावे।
5. ठेकेदार को स्वीपर सफाई कर्मी ही उपलब्ध कराने होगे। वार्डो, शौचालयों एवं स्नानगृहों की समस्त सफाई को सत्यापन वार्ड प्रभारी द्वारा किये जाये।
6. कार्य अवधि में सफाई कार्य में काम आने वाली आवश्यक सामग्री (झाडु, पौछा, ब्रूश ट्रौली, बांस, एसिड, सोडा , साबुन का घोल, डिजरजेंट, फिनाईल तथा शौचालयों के लिए नेफथ्लीन बॉल्स की गोलिया आदि) की सभी वार्डो में आपुर्ति ठेकेदार को ही करनी होगी।
7. चिकित्सालय के बरामदों, सीढीयों, वार्डों, गैलरिया एवं हाल्स में स्थापित कचरा पात्रो की सफाई, थूकदान/पीकदान में आवश्यकतानुसार रसायन आदि का परिवर्तन प्रतिदिन करना होगा।
8. निर्धारित स्तर की सफाई नहीं होने पर एवं इस संबंध में वार्ड प्रभारी, नर्सिंग अधीक्षक अथवा सफाई प्रभारी द्वारा सूचित किये जाने पर पुनः सफाई करवानी होगी एवं इसका निरीक्षण करवाया जाना होगा।
9. शौचालय में कचरा पात्र उपलब्ध हो जिसे प्रतिदिन सुबह शाम खाली किया जावे।
10. वार्डो में प्रत्येक शैया के नीचे, सामान्य कचरे के लिये छोटा कचरा पात्र रखा हो, जिसे प्रतिदिन सुबह–शाम खाली किया जाये।
11. स्नान घर में बाल्टी व मग ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करा रखे जावे।
12. ड्यूटी चार्ट के साथ–साथ उतरदायी सफाई कर्मचारी का नाम व मोबाईल नं अंकित किया जाना है।
13. चिकित्सा संस्थान पर उत्पन्न जैवकिय अपशिष्ट का **Biomedical Waste (Management & Handling) Rules, 1998** के अनुसार सुचारू प्रबधन किये जाने हेतु जैवकिय अपशिष्ट का कलर कॉडिग के अनुसार पृथ्थकरण कर रबड़ वेस्ट व शार्प वेस्ट का 1 प्रतिशत सोड़ियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन अथवा 1 प्रतिशत ब्लीचिंग घोल से निःसंक्रमण करवाया जाना है। तत्पश्चात **CTF** या **Deep Burial Pit** के माध्यम से जैवकिय अपशिष्ट का निस्तारण करवाया जाना है।
14. चिकित्सालय के समस्त वार्डो तथा प्रसव कक्ष व उससे जुड़े शौचालयों में निरन्तर सफाई व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिये।
15. परिसर को कांटेदार झाडिया व बिना कांटेदार झाडियों को खोदकर निकालनी होगी। कचरा व झाडियां या परिसर में कोई जानवर मरा हुआ हो तो उसे पास के कचरा डिपो जो नगर परिषद् या चिकित्सालय का हो वहां तक अपने खर्चे व अपने साधन से पहुंचाना होगा।
16. अन्य नियम व शर्ते सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार होगी।
17. सफाई ठेका की अवधि कार्य आदेश से 31 मार्च 2016 तक की होगी जिसे आवश्यक होने पर आपसी सहमति से आगामी छः माह तक के लिये बढाई जा सकेगी।
18. सफाई कार्य का निरीक्षण एवं कार्य सन्तोषप्रद तथा निर्धारित मापदण्ड अनुसार होने का प्रमाणीकरण व भुगतान सम्बंधी कार्यवाही सम्बंधित चिकित्सा संस्था प्रधान द्वारा की जानी है।
19. सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग जिला स्तर पर गठित सदस्यों की समिति द्वारा की जानी है।
20. कार्य सम्पादन से संबंधित कोई भी आवश्यक निर्देश देने का अधिकार विभागीय अधिकारियों के पास होगा। ठेकेदार को निर्देशों का पालन कराने की बाध्यता होगी।
21. इस कार्य संविदा से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में विभागीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान –सरकार

कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या 01 वर्ष 2015–16

निविदा बेचने की दिनांक 05.06.2015 से दिनांक 11.06.2015

निविदा प्राप्ति की दिनांक 12.06.2015 सांय 3:00 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक 12.06.2015 सांय 4:00 बजे

निविदा लागत : 3.00 लाख धरोहर राशि : 6000/–

कार्य का नाम : वर्ष 2015–16 में प्रा. स्वा. केन्द्र, लखासर पर साफ–सफाई का कार्य।

निविदा फार्म फीस (रू 200/–) जरीये रसीद सं. .... दिनांक .... द्वारा प्राप्त।

.... को जारी किया गया।

(डॉ. मनीष वर्मा)
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़।

1. अमानत राशि जमा कराने का विवरण

	अमानत राशि जमा (बैंक का नाम सहित)	संख्या	दिनांक	राशि
1				

2. दर का विवरण

विवरण	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर
समस्त सामग्री व संसाधन सहित प्रतिमाह साफ सफाई कार्य हेतु दर	

मैनें निविदा पत्र के साथ संलग्न विवरण में अंकित सभी शर्तो को अच्छी तरह समझ लिया है एवं शर्ते मुझे स्वीकार है। जिसकी सहमति स्वरूप मैने शर्तो के विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

डिलीवरी पोंईट चिकित्सा संस्थानों पर साफ–सफाई कार्य हेतु नियम एवं शर्ते

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में स्थित सभी वार्डों के अंदर बाहर की गैलरियो, खिड़की दरवाजों, इनके पास स्थित बरामदों, परिसर की उपरी छत, सीढियों, रैम्परों एवं अस्पताल के बाहर के मैदान (चारदिवारी के अन्दर) एवं नये निर्मित होने वाले भवनों की सफाई करनी होगी। जिसमें सभी स्थानों पर झाडू लगाना, जाले हटाना, फिनाईल से पोछा लगाना, शौचालयों, स्नानगृहों की सफाई, पान की पीक आदि की सफाई शामिल है।
2. महिला वार्डों हेतु महिला सफाई कर्मचारी ही लगाने होगे।
3. संविदाकार द्वारा लगाये जाने वाले सभी कार्मिकों को संविदाकार द्वारा फोटो युक्त परिचय पत्र जारी करना होगा तथा सभी कार्मिकों को उक्त परिचय पत्र कार्यसमय में प्रदर्शित किया जाना है।
4. सभी सफाई कार्मिक एक रंग की वर्दी में उपलब्ध होने चाहिये। वर्दी पर सफाई कर्मचारी का नाम अंकित किया जावे।
5. ठेकेदार को स्वीपर सफाई कर्मी ही उपलब्ध कराने होगे। वार्डो, शौचालयों एवं स्नानगृहों की समस्त सफाई को सत्यापन वार्ड प्रभारी द्वारा किये जाये।
6. कार्य अवधि में सफाई कार्य में काम आने वाली आवश्यक सामग्री (झाडु, पौछा, ब्रूश ट्रौली, बांस, एसिड, सोडा , साबुन का घोल, डिजरजेंट, फिनाईल तथा शौचालयों के लिए नेफथ्लीन बॉल्स की गोलिया आदि) की सभी वार्डो में आपुर्ति ठेकेदार को ही करनी होगी।
7. चिकित्सालय के बरामदों, सीढीयों, वार्डों, गैलरिया एवं हाल्स में स्थापित कचरा पात्रो की सफाई, थूकदान/पीकदान में आवश्यकतानुसार रसायन आदि का परिवर्तन प्रतिदिन करना होगा।
8. निर्धारित स्तर की सफाई नहीं होने पर एवं इस संबंध में वार्ड प्रभारी, नर्सिग अधीक्षक अथवा सफाई प्रभारी द्वारा सूचित किये जाने पर पुनः सफाई करवानी होगी एवं इसका निरीक्षण करवाया जाना होगा।
9. शौचालय में कचरा पात्र उपलब्ध हो जिसे प्रतिदिन सुबह शाम खाली किया जावे।
10. वार्डो में प्रत्येक शैया के नीचे, सामान्य कचरे के लिये छोटा कचरा पात्र रखा हो, जिसे प्रतिदिन सुबह–शाम खाली किया जाये।
11. स्नान घर में बाल्टी व मग ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करा रखे जावे।
12. ड्यूटी चार्ट के साथ–साथ उतरदायी सफाई कर्मचारी का नाम व मोबाईल नं अंकित किया जाना है।
13. चिकित्सा संस्थान पर उत्पन्न जैवकिय अपशिष्ट का **Biomedical Waste (Management & Handling) Rules, 1998** के अनुसार सुचारू प्रबधन किये जाने हेतु जैवकिय अपशिष्ट का कलर कॉडिग के अनुसार पृथ्थकरण कर रबड़ वेस्ट व शार्प वेस्ट का 1 प्रतिशत सोड़ियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन अथवा 1 प्रतिशत ब्लीचिंग घोल से निःसंक्रमण करवाया जाना है। तत्पश्चात **CTF** या **Deep Burial Pit** के माध्यम से जैवकिय अपशिष्ट का निस्तारण करवाया जाना है।
14. चिकित्सालय के समस्त वार्डो तथा प्रसव कक्ष व उससे जुड़े शौचालयों में निरन्तर सफाई व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिये।
15. परिसर को कांटेदार झाडिया व बिना कांटेदार झाडियों को खोदकर निकालनी होगी। कचरा व झाडियां या परिसर में कोई जानवर मरा हुआ हो तो उसे पास के कचरा डिपो जो नगर परिषद् या चिकित्सालय का हो वहां तक अपने खर्चे व अपने साधन से पहुंचाना होगा।
16. अन्य नियम व शर्ते सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार होगी।
17. सफाई ठेका की अवधि कार्य आदेश से 31 मार्च 2016 तक की होगी जिसे आवश्यक होने पर आपसी सहमति से आगामी छः माह तक के लिये बढाई जा सकेगी।
18. सफाई कार्य का निरीक्षण एवं कार्य सन्तोषप्रद तथा निर्धारित मापदण्ड अनुसार होने का प्रमाणीकरण व भुगतान सम्बंधी कार्यवाही सम्बंधित चिकित्सा संस्था प्रधान द्वारा की जानी है।
19. सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग जिला स्तर पर गठित सदस्यों की समिति द्वारा की जानी है।
20. कार्य सम्पादन से संबंधित कोई भी आवश्यक निर्देश देने का अधिकार विभागीय अधिकारियों के पास होगा। ठेकेदार को निर्देशों का पालन कराने की बाध्यता होगी।
21. इस कार्य संविदा से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में विभागीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान –सरकार

कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या 01 वर्ष 2015–16

निविदा बेचने की दिनांक 05.06.2015 से दिनांक 11.06.2015

निविदा प्राप्ति की दिनांक 12.06.2015 सांय 3:00 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक 12.06.2015 सांय 4:00 बजे

निविदा लागत : 3.00 लाख धरोहर राशि : 6000/–

कार्य का नाम : वर्ष 2015–16 में प्रा. स्वा. केन्द्र, सेरूणा पर साफ–सफाई का कार्य।

निविदा फार्म फीस (रू 200/–) जरीये रसीद सं. .... दिनांक .... द्वारा प्राप्त।

.... को जारी किया गया।

(डॉ. मनीष वर्मा)
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़।

1. अमानत राशि जमा कराने का विवरण

	अमानत राशि जमा (बैंक का नाम सहित)	संख्या	दिनांक	राशि
1				

2. दर का विवरण

विवरण	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर
समस्त सामग्री व संसाधन सहित प्रतिमाह साफ सफाई कार्य हेतु दर	

मैनें निविदा पत्र के साथ संलग्न विवरण में अंकित सभी शर्तों को अच्छी तरह समझ लिया है एवं शर्तें मुझे स्वीकार है। जिसकी सहमति स्वरूप मैने शर्तों के विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

डिलीवरी पोंईट चिकित्सा संस्थानों पर साफ–सफाई कार्य हेतु नियम एवं शर्ते

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में स्थित सभी वार्डों के अंदर बाहर की गैलरियो, खिड़की दरवाजों, इनके पास स्थित बरामदों, परिसर की उपरी छत, सीढियों, रैम्परों एवं अस्पताल के बाहर के मैदान (चारदिवारी के अन्दर) एवं नये निर्मित होने वाले भवनों की सफाई करनी होगी। जिसमें सभी स्थानों पर झाडू लगाना, जाले हटाना, फिनाईल से पोछा लगाना, शौचालयों, स्नानगृहों की सफाई, पान की पीक आदि की सफाई शामिल है।
2. महिला वार्डों हेतु महिला सफाई कर्मचारी ही लगाने होगे।
3. संविदाकार द्वारा लगाये जाने वाले सभी कार्मिकों को संविदाकार द्वारा फोटो युक्त परिचय पत्र जारी करना होगा तथा सभी कार्मिकों को उक्त परिचय पत्र कार्यसमय में प्रदर्शित किया जाना है।
4. सभी सफाई कार्मिक एक रंग की वर्दी में उपलब्ध होने चाहिये। वर्दी पर सफाई कर्मचारी का नाम अंकित किया जावे।
5. ठेकेदार को स्वीपर सफाई कर्मी ही उपलब्ध कराने होगे। वार्डो, शौचालयों एवं स्नानगृहों की समस्त सफाई को सत्यापन वार्ड प्रभारी द्वारा किये जाये।
6. कार्य अवधि में सफाई कार्य में काम आने वाली आवश्यक सामग्री (झाडु, पौछा, ब्रूश ट्रौली, बांस, एसिड, सोडा , साबुन का घोल, डिजरजेंट, फिनाईल तथा शौचालयों के लिए नेफथ्लीन बॉल्स की गोलिया आदि) की सभी वार्डो में आपुर्ति ठेकेदार को ही करनी होगी।
7. चिकित्सालय के बरामदों, सीढीयों, वार्डों, गैलरिया एवं हाल्स में स्थापित कचरा पात्रो की सफाई, थूकदान/पीकदान में आवश्यकतानुसार रसायन आदि का परिवर्तन प्रतिदिन करना होगा।
8. निर्धारित स्तर की सफाई नहीं होने पर एवं इस संबंध में वार्ड प्रभारी, नर्सिग अधीक्षक अथवा सफाई प्रभारी द्वारा सूचित किये जाने पर पुनः सफाई करवानी होगी एवं इसका निरीक्षण करवाया जाना होगा।
9. शौचालय में कचरा पात्र उपलब्ध हो जिसे प्रतिदिन सुबह शाम खाली किया जावे।
10. वार्डो में प्रत्येक शैया के नीचे, सामान्य कचरे के लिये छोटा कचरा पात्र रखा हो, जिसे प्रतिदिन सुबह–शाम खाली किया जाये।
11. स्नान घर में बाल्टी व मग ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करा रखे जावे।
12. ड्यूटी चार्ट के साथ–साथ उतरदायी सफाई कर्मचारी का नाम व मोबाईल नं अंकित किया जाना है।
13. चिकित्सा संस्थान पर उत्पन्न जैवकिय अपशिष्ट का Biomedical Waste (Management & Handling) Rules, 1998 के अनुसार सुचारू प्रबधन किये जाने हेतु जैवकिय अपशिष्ट का कलर कॉडिग के अनुसार पृथ्थकरण कर रबड़ वेस्ट व शार्प वेस्ट का 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन अथवा 1 प्रतिशत ब्लीचिंग घोल से निःसंक्रमण करवाया जाना है। तत्पश्चात CTF या Deep Burial Pit के माध्यम से जैवकिय अपशिष्ट का निस्तारण करवाया जाना है।
14. चिकित्सालय के समस्त वार्डो तथा प्रसव कक्ष व उससे जुड़े शौचालयों में निरन्तर सफाई व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिये।
15. परिसर को कांटेदार झाडिया व बिना कांटेदार झाडियों को खोदकर निकालनी होगी। कचरा व झाडियां या परिसर में कोई जानवर मरा हुआ हो तो उसे पास के कचरा डिपो जो नगर परिषद् या चिकित्सालय का हो वहां तक अपने खर्चे व अपने साधन से पहुंचाना होगा।
16. अन्य नियम व शर्ते सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार होगी।
17. सफाई ठेका की अवधि कार्य आदेश से 31 मार्च 2016 तक की होगी जिसे आवश्यक होने पर आपसी सहमति से आगामी छः माह तक के लिये बढाई जा सकेगी।
18. सफाई कार्य का निरीक्षण एवं कार्य सन्तोषप्रद तथा निर्धारित मापदण्ड अनुसार होने का प्रमाणीकरण व भुगतान सम्बंधी कार्यवाही सम्बंधित चिकित्सा संस्था प्रधान द्वारा की जानी है।
19. सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग जिला स्तर पर गठित सदस्यों की समिति द्वारा की जानी है।
20. कार्य सम्पादन से संबंधित कोई भी आवश्यक निर्देश देने का अधिकार विभागीय अधिकारियों के पास होगा। ठेकेदार को निर्देशों का पालन कराने की बाध्यता होगी।
21. इस कार्य संविदा से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में विभागीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान –सरकार

कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

निविदा प्रपत्र

निविदा सूचना संख्या 01 वर्ष 2015–16

निविदा बेचने की दिनांक 05.06.2015 से दिनांक 11.06.2015

निविदा प्राप्ति की दिनांक 12.06.2015 सांय 3:00 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक 12.06.2015 सांय 4:00 बजे

निविदा लागत : 3.00 लाख धरोहर राशि : 6000/–

कार्य का नाम : वर्ष 2015–16 में प्रा. स्वा. केन्द्र, दुलचासर पर साफ–सफाई का कार्य।

निविदा फार्म फीस (रू 200/–) जरीये रसीद सं. .... दिनांक .... द्वारा प्राप्त।

.... को जारी किया गया।

(डॉ. मनीष वर्मा)
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़।

1. अमानत राशि जमा कराने का विवरण

	अमानत राशि जमा (बैंक का नाम सहित)	संख्या	दिनांक	राशि
1				

2. दर का विवरण

विवरण	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर
समस्त सामग्री व संसाधन सहित प्रतिमाह साफ सफाई कार्य हेतु दर	

मैनें निविदा पत्र के साथ संलग्न विवरण में अंकित सभी शर्तो को अच्छी तरह समझ लिया है एवं शर्ते मुझे स्वीकार है। जिसकी सहमति स्वरूप मैने शर्तो के विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

डिलीवरी पोंईट चिकित्सा संस्थानों पर साफ–सफाई कार्य हेतु नियम एवं शर्ते

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में स्थित सभी वार्डो के अंदर बाहर की गैलरियो, खिड़की दरवाजों, इनके पास स्थित बरामदों, परिसर की उपरी छत, सीढियों, रैम्परों एवं अस्पताल के बाहर के मैदान (चारदिवारी के अन्दर) एवं नये निर्मित होने वाले भवनों की सफाई करनी होगी। जिसमें सभी स्थानों पर झाडू लगाना, जाले हटाना, फिनाईल से पोछा लगाना, शौचालयों, स्नानगृहों की सफाई, पान की पीक आदि की सफाई शामिल है।
2. महिला वाडों हेतु महिला सफाई कर्मचारी ही लगाने होगे।
3. संविदाकार द्वारा लगाये जाने वाले सभी कार्मिकों को संविदाकार द्वारा फोटो युक्त परिचय पत्र जारी करना होगा तथा सभी कार्मिकों को उक्त परिचय पत्र कार्यसमय में प्रदर्शित किया जाना है।
4. सभी सफाई कार्मिक एक रंग की वर्दी में उपलब्ध होने चाहिये। वर्दी पर सफाई कर्मचारी का नाम अंकित किया जावे।
5. ठेकेदार को स्वीपर सफाई कर्मी ही उपलब्ध कराने होगे। वार्डो, शौचालयों एवं स्नानगृहों की समस्त सफाई को सत्यापन वार्ड प्रभारी द्वारा किये जाये।
6. कार्य अवधि में सफाई कार्य में काम आने वाली आवश्यक सामग्री (झाडु, पौछा, ब्रूश ट्रौली, बांस, एसिड, सोडा , साबुन का घोल, डिजरजेंट, फिनाईल तथा शौचालयों के लिए नेफथ्लीन बॉल्स की गोलिया आदि) की सभी वार्डो में आपुर्ति ठेकेदार को ही करनी होगी।
7. चिकित्सालय के बरामदों, सीढीयों, वार्डो, गैलरिया एवं हाल्स में स्थापित कचरा पात्रो की सफाई, थूकदान/पीकदान में आवश्यकतानुसार रसायन आदि का परिवर्तन प्रतिदिन करना होगा।
8. निर्धारित स्तर की सफाई नहीं होने पर एवं इस संबंध में वार्ड प्रभारी, नर्सिंग अधीक्षक अथवा सफाई प्रभारी द्वारा सूचित किये जाने पर पुनः सफाई करवानी होगी एवं इसका निरीक्षण करवाया जाना होगा।
9. शौचालय में कचरा पात्र उपलब्ध हो जिसे प्रतिदिन सुबह शाम खाली किया जावे।
10. वार्डो में प्रत्येक शैया के नीचे, सामान्य कचरे के लिये छोटा कचरा पात्र रखा हो, जिसे प्रतिदिन सुबह–शाम खाली किया जाये।
11. स्नान घर में बाल्टी व मग ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करा रखे जावे।
12. ड्यूटी चार्ट के साथ–साथ उतरदायी सफाई कर्मचारी का नाम व मोबाईल नं अंकित किया जाना है।
13. चिकित्सा संस्थान पर उत्पन्न जैवकिय अपशिष्ट का **Biomedical Waste (Management & Handling) Rules, 1998** के अनुसार सुचारू प्रबधन किये जाने हेतु जैवकिय अपशिष्ट का कलर कॉडिग के अनुसार पृथ्थकरण कर रबड़ वेस्ट व शार्प वेस्ट का 1 प्रतिशत सोड़ियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन अथवा 1 प्रतिशत ब्लीचिंग घोल से निःसंक्रमण करवाया जाना है। तत्पश्चात **CTF** या **Deep Burial Pit** के माध्यम से जैवकिय अपशिष्ट का निस्तारण करवाया जाना है।
14. चिकित्सालय के समस्त वार्डो तथा प्रसव कक्ष व उससे जुड़े शौचालयों में निरन्तर सफाई व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिये।
15. परिसर को कांटेदार झाडिया व बिना कांटेदार झाडियों को खोदकर निकालनी होगी। कचरा व झाडियां या परिसर में कोई जानवर मरा हुआ हो तो उसे पास के कचरा डिपो जो नगर परिषद् या चिकित्सालय का हो वहां तक अपने खर्चे व अपने साधन से पहुंचाना होगा।
16. अन्य नियम व शर्ते सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार होगी।
17. सफाई ठेका की अवधि कार्य आदेश से 31 मार्च 2016 तक की होगी जिसे आवश्यक होने पर आपसी सहमति से आगामी छः माह तक के लिये बढाई जा सकेगी।
18. सफाई कार्य का निरीक्षण एवं कार्य सन्तोषप्रद तथा निर्धारित मापदण्ड अनुसार होने का प्रमाणीकरण व भुगतान सम्बंधी कार्यवाही सम्बंधित चिकित्सा संस्था प्रधान द्वारा की जानी है।
19. सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग जिला स्तर पर गठित सदस्यों की समिति द्वारा की जानी है।
20. कार्य सम्पादन से संबंधित कोई भी आवश्यक निर्देश देने का अधिकार विभागीय अधिकारियों के पास होगा। ठेकेदार को निर्देशों का पालन कराने की बाध्यता होगी।
21. इस कार्य संविदा से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में विभागीय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर